न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर (केम्प जबलपुर)

हरिओम कौरव आ. राजकुमार कौरव
निवासी–ग्राम नयाखेड़ा,
तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर म.प्र. .....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

सुम्मेर सिंह कौरव आ. बाबूलाल कौरव
निवासी–ग्राम नयाखेड़ा,
तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर म.प्र. .....उत्तरवादी

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रीडर
25 JAN 2018
कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू.रा.सं.

पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय करेली के राजस्व मामला कमांक–04–अ–12 वर्ष 2016–2017 एवं 30–अ/12 वर्ष 2016–2017 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2017 से पीड़ित होकर अनेक आधारों में से निम्न आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि अनावेदक सुम्मेर सिंह कौरव के द्वारा न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय करेली के समक्ष मौजा नयाखेड़ा, नं.बं.–274, प.ह.नं.–57, स्थित भूमि खसरा नंबर 129/1, 129/2, 129/3, 129/4–5–6 रकबा कमशः 0.009 हे., 0.006 हे, 0.010 हे., 0.030 हे. कुल रकबा 0.053 हे. के सीमांकन का आवेदन दिया था, जिस पर तहसीलदार महोदय ने राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु आदेशित किया जिस पर राजस्व निरीक्षक महोदय ने दिनांक 11.05.2017 को विधि विरूद्ध और सीमांकन नियमों के विपरीत जाकर सीमांकन किया जिससे पीडित होकर पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है।

पुनरीक्षण के आधार

2. . यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय नरसिंहपुर का सीमांकन प्रकरण कमांक–4–अ/12 वर्ष 2016–2017 पारित आदेश दिनांक 12.'05.2017 सीमांकन विधि व प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्यं है।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना था कि मौजा नयाखेड़ा के खसरा नंबर 129/1, 129/2, 129/3, 129/4–5–6 का रकबा अलग अलग है परंतु मौके में नक्शा एक है और सीमांकन नियमों के अनुसार यदि खसरा नंबर के बटांक

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/नरसिंहपुर//भू.रा./2018/1044

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-5-17 के विरूद्ध दिनांक 25-1-18 को निगरानी 8 माह बाद पेश की है । विलंब का कारण सीमांकन की जानकारी न होना बताया है तथा प्रथम बार जानकारी 22-11-17 को होने की बात कही गई है जबकि निगरानी आवेदन के साथ जो दस्तावेज आदि पेश किए गए हैं उनमें सूचनापत्र की प्रति भी संलग्न है और सूचनापत्र पर आवेदंक के हस्ताक्षर हैं अत: यह कहना कि उनकी बिना जानकारी के सीमांकन किया गया है, मान्य किए जाने योग्य नहीं है । परिणामत: यह निगरानी अवधि बाहय होने के कारण निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों । प्रशा0 सदस्य	